रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
**EXTRAORDINARY**
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**
प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| सं. 711] | नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2015/चैत्र 16, 1937 |
| No. 711] | NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2015/CHAITRA 16, 1937 |


## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2015

**का.आ. 936(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 490 (अ) तारीख 19 मार्च, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ओडिसा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है), में निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए उसे पुन: गठित करती है, जो तारीख 19 मार्च, 2015 से प्रभाव में आएगी, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओडिसा सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | श्री जगननाथ बस्तिया, अध्यक्ष, समुद्र तट संरक्षण परिषद, ओडिसा, डोलामंडप साही, पुरी-752001 | सदस्य |
| 3. | डा. बी.आर. सुब्रहमणियम, पूर्व निदेशक एकीकृत तटीय और सामुदायिक क्षेत्र प्रबंधन, चैन्नई | सदस्य |
| 4. | डा. रवीन्द्र नाथ होता, आचार्य भू-विज्ञान, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर | सदस्य |
| 5. | विभागाध्यक्ष, समुद्र विज्ञान विभाग, बेरहमपुर विश्वविद्यालय, ओडिसा | सदस्य |
| 6. | सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिसा सरकार | सदस्य |
| 7. | सचिव, मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिसा सरकार | सदस्य |
| 8. | प्रधान वन संरक्षक (डब्ल्यूएल) और मुख्य वन जीव वार्डन, ओडिसा | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिसा या सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिसा | सदस्य |
| 10. | मुख्य कार्यकारी, चिकित्सा विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर | सदस्य |
| 11. | मुख्य कार्यकारी, ओडिसा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर, भुवनेश्वर | सदस्य |
| 12. | मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | परियोजना निदेशक, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंध परियोजना, भुवनेश्वर | सदस्य |
| 14. | निदेशक, पर्यावरण सह-विशेष-सचिव, सरकार वन और पर्यावरण विभाग, भुवनेश्वर | सदस्य |

II. प्राधिकरण को ओडिसा राज्य के क्षेत्रों में समुद्रतटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात्:-

(i)(क) अनुमोदित समुद्र तट क्षेत्र प्रबंध योजना के अनुसरण में और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीआरजेड अधिसूचना, 2011 कहा गया है) के अनुपालन में प्रस्तावों का परीक्षण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण या स्थानीय योजना प्राधिकरण जैसा लागू हैं, को पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर सिफारिशें करना।

(ख) ओडिसा राज्य सरकार से प्राप्त किए गए समुद्र तट विनिमय क्षेत्र और समुद्र तट क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजेडएमपी) के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए प्रस्तावों का परीक्षण और सी.आर.जेड. अधिसूचना 2011 के उपबंधों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट सिफारिश करना;

(ii)(क) उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित है, के अधिकथित उल्लंघन के मामलों में जांच करना और यदि विनिर्दिष्ट मामलों में यह आवश्यक पाया जाए तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण की ओर से विनिर्दिष्ट उन मामलों में जारी किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम या किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्य से संबंधित है और यदि आवश्यक पाया जाए तो ऐसे मामलों को राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को टीका-टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन के लिए उन्हें भेजना:

परन्तु इस के उप-पैरा के खंड (क) और (ख) के अधीन मामलों को किसी व्यष्टि या किसी निकाय या किसी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर या स्वत: प्रेरणा से लिया जाएगा;

(iii) इस पैरा के अधीन इसके द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना, जिससे कि इस पैरा 2 से उदभूत मामलों से संबद्ध तथ्यों को सत्यापित किया जा सके।

III. तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा जिसे उसके द्‌वारा यथास्थिति, ओडिसा राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार को भेजा जा सकेगा।

IV. प्राधिकरण सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में समुद्र तट विनियम क्षेत्र योजनाओं और समुद्र तटीय क्षेत्रों के नक्शों को तैयार करेगा और राष्ट्रीय समुद्र तट क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

V. प्राधिकरण सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जो ओडिसा के अनुमोदित समुद्र तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना और सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में अधिकथित हैं।

VI. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण तथा केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन को छह मास की अवधि में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

VII. प्राधिकरण के बैठक की गणपूर्ति प्राधिकरण के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई होगी और यदि गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो बैठक 30 मिनट के लिए स्थगित हो जाएगी और उसे पुन: आहूत किया जाएगा।

VIII. वेतन और यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, आसन फीस, क्षेत्र दौरा फीस आदि जैसे पर्यावरण और वन मंत्रालय/केन्द्रीय सरकार द्‌वारा विनिश्चित किए गए संनियमों के अनुसार होंगे।

IX. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस अधिसूचना और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथापरिकल्पित इसके प्रभावी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त मात्रा में संसाधन, मानव शक्ति, निधियां उपलब्ध हों।

X. तटीय जोन प्रबंध योजना के कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने को एक समर्पित वेबसाइट सृजित करने का उत्तरदायित्व प्राधिकरण का होगा जिसमें कार्यसूची, कार्यवृत्त के लिए गए विनिश्चय, समाशोधन पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर कार्यवाही न्यायालयों मामले जिसके अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के साथ यथास्थिति संबंधित ओडसा राज्य के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना को भी रखा जाएगा।

XI. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XII. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित होगा।

XIII. कोई मामला जिसे प्राधिकरण के क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट रूप से फाइल नहीं किया गया हो, उस पर संबंधित कानूनी प्राधिकारणों द्वारा विचार किया जाएगा।

[फा. सं. 12–2/2005–आई ए. III]

बिश्वानाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## ORDER

New Delhi, the 1st April, 2015

**S.O. 936(E).**— In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 ( 29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.490 (E), dated the 19th March, 2012 except as respects thinks done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Odisha Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the 19th Day of March, 2015, namely :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Secretary, Forests and Environment Department, Government of Odisha | Chairman |
| 2. | Shri. Jagannath Bastia, President Beach Protection Council of Odisha, Dolamandap Sahi, Puri – 752 001 | Member |
| 3. | Dr. B.R. Subramanian, Former Director, Integrated Coastal and Marine Area Management, Chennai | Member |
| 4. | Dr. Rabindra Nath Hota, Professor of Geology, Utkal University, Bhubaneswar | Member |
| 5. | Head of the Department, Department of Marine Science, Berhampur University, Odisha. | Member |
| 6. | Secretary, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha | Member |
| 7. | Secretary, Fisheries and Animal Resource Development Department, Government of Odisha | Member |
| 8. | Principal Chief Conservation of Forest (WL) and Chief Wildlife Warden, Odisha | Member |
| 9. | Chairman, State Pollution Control Board, Odisha or Member Secretary, State Pollution Control Board, Odisha | Member |
| 10. | Chief Executive, Chilika Development Authority, Bhubaneswar | Member |
| 11. | Chief Executive, Orissa Space Application Centre, Bhubaneswar | Member |
| 12. | Chief Conservator of Forests, Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Bhubaneswar | Member |
| 13. | Project Director, Integrated Coastal Zone Management Project, Bhubaneswar | Member |
| 14. | Director, Environment-cum-Special secretary to Government of Forests and Environment Department, Bhubaneswar | Member-Secretary |

II The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of State of Odisha, namely :—

(i) (a) examination of the proposals in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and in compliance with notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the CRZ notification, 2011) and making recommendations within a period of sixty days from date of receipt of complete application to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or State Environmental Impact Assessment Authority or Local Planning Authority as applicable :

(b) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan (CZMP) received from the Odisha State Government and making specific recommendations in accordance with the provisions of the CRZ notification, 2011;

(ii) (a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case,

issuing directions under section 5 of the said Act, in so far as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority constituted by the Central Government;

(b) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the aforesaid National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under clauses (a) and (b) of this sub paragraph may be taken up by the Authority, *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an organisation;

(iii) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non--compliance of the directions issued by it under this paragraph;

(iv) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from this paragraph.

III The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by State of Odisha, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

VI The Authority shall prepare and submit Coastal Regulation Zone Plans and maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the CRZ notification, 2011 and submit to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for approval.

V The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Odisha and the CRZ notification, 2011.

VI The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

VII The quorum of the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of the Members of the Authority and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for 30 minutes and shall be reconvened.

VIII The pay and allowances such as TA, DA, Seating Fees, Field visit fees etc., shall be as per the norms decided by the Ministry of Environment and Forests/ Central Government.

IX The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower and funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as envisaged in this notification and in the Environment (Protection) Act, 1986.

X It shall be the responsibility of the Authority to create a dedicated website to maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authority and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and cases pending in the courts including the Orders of the Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of State of Odisha.

XI The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

XII The Authority shall have its headquarters at Bhubaneswar.

XIII Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F.No.12-2/2005-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.